5/4/18 वकील प्रार्थी द्वारा बहस सुनी गई। पत्रावली अन्तिम निर्णय हेतु 19/4/18 को पेश हो।

Rij

19/4/18 वकील प्रार्थी द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी आरजी विवादित की खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थी ने कोई नवीन सबूत पेश नहीं किए है, तथा उपस्थित नहीं आने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी स्वीकार किया जाता है। तहसील या सपोटरा को 200/- फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। तहरीर जारी हो कि फीस कमीशन प्रार्थिनी से प्राप्त कर ग्राम डिकोली खुर्द तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं. 87 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा की परिमाण्डी उभय-पक्षकारान की मौजूदगी में परिमाण कराकर पालना रिपोर्ट दिनांक 29/5/2018 को राजस्व लोक अदालत आरिमान। नियम आदेश दिनांक 2018 को ग्राम पंचायत डिकोली कलां में या उससे पूर्व मिलावे। पत्रावली दिनांक 29/5/18 को ग्राम पंचायत डिकोली कलां में पेश हो।

Rij

29/5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अजिमगंज अनुसार ग्राम पंचायत डिकोली कलां में पेश हुई। तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक 93 दिनांक 29/5/18 से प्रकरण में परिमाण्डी कराने जाकर पालना करवाया जाना बताया है। प्रकरण में कुछ किये कराये बाकी शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से करें।

Rij